

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-05—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5.1(अ)	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिए माँग पत्र प्रदाय किया जाना	(1) नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
--------	--	--	---------------	----------------------------	---------------	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.1(ब)	माँग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना	(1) नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.3	नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार	1. नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	7 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
5.4	पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना	(अ) <u>जिन निकायों में प्रयोगशाला उपलब्ध है—</u> नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी	10 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	10 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जिन निकायों में प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है				
		1. जल का सेम्पल लेना तथा प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजना—				
		नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	10 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	5 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	10 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. प्रयोगशाला में जल के सेम्पल की टेस्टिंग तथा टेस्ट रिपोर्ट देना—				
		लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	10 कार्य दिवस	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस,
प्रमुख सचिव